



वाणिज्य-कर विभाग

आवश्यक सूचना

व्यवसायियों को कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने हेतु कार्यालय जाने से मुक्ति।

सभी व्यवसायी जिनके द्वारा एक रुपया से अधिक कर का भुगतान किया जाता है एवं जिन्हें प्रपत्र 'सी' अथवा प्रपत्र 'एफ' जैसे केन्द्रीय घोषणा-पत्र प्राप्त करना हो उन्हें अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के माध्यम से कर का भुगतान तथा ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विवरणी दाखिल करना है।

जहाँ ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विवरणी दाखिल करने की बाध्यता है वहाँ किसी अन्य माध्यम से दाखिल की गई विवरणी की कोई विधिक मान्यता नहीं है अतएव ऐसे में कानूनी रूप से यह माना जाएगा कि विवरणी दाखिल ही नहीं की गई है।

उपरोक्त सभी व्यवसायियों से अनुरोध है कि माह अप्रैल, 2012 का कर, जो 15.5.2012 तक भुगतय है, का ई-पेमेंट के माध्यम से ही भुगतान करें तथा वर्ष 2012-13 के प्रथम त्रैमास की विवरणी भी अनिवार्य रूप से ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दाखिल करें।

ई-पेमेंट के माध्यम से कर भुगतान नहीं करने एवं ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विवरणी नहीं दाखिल करने की दशा में किसी भी प्रकार के केन्द्रीय घोषणा-पत्र की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

कृपया ध्यान दें

ई-सर्विसेज का सही उपयोग है : ई-रिटर्न

वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार की वेबसाईट
Website: www.biharcommercialtax.gov.in